भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1379

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 18 जुलाई, 2014/27 आषाढ़, 1936 (शक) को दिया गया)

कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन

1379. श्री राजीव सातव :
श्री सी.एन. जयदेवन :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री धनंजय महाडीक :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन/पुनरीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कारपोरेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों और अन्य पणधारकों के साथ चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो इस चर्चा के परिणाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ड.) सरकार द्वारा नए कंपनी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अन्य क्या उपाए किए गए/किए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (ड.) : कंपनी अधिनियम, 2013 के आधे से कुछ अधिक उपबंध 01.04.2014 से प्रवृत्त हुए। इसके पश्चात् कई पत्र कारपोरेट कार्य मंत्रालय में प्राप्त हुए जिनमें इन उपबंधों से संबंधित कतिपय व्यवहारिक कठिनाइयों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया, अथवा उनके संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया। इन कठिनाइयों को समझने और उपबंधों को स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान के तत्वाधान में 21.06.2014 को नई दिल्ली में एक परस्पर विचार-विमर्श सत्र का आयोजन किया गया। विचारों के आदान-प्रदान से कई बिन्दुओं का समाधान हुआ। कठिनाइयों को दूर करने के लिए, अधिनियम

की धारा 470 के अधीन आदेश द्वारा विस्तृत विवरण देने, कतिपय नियमों में संशोधन और स्पष्ट करने वाले परिपत्र जारी करने तथा उपयुक्त छूट प्रदान करने के लिए भी बिन्दुओं की पहचान की गई है।

अधिनियम की धारा 462 के अधीन चार प्रारूप अधिसूचनाएं संसद के पटल पर एक महीने के लिए रखी गई हैं। अधिक स्पष्टता हेतु परिपत्र जारी किए जा चुके हैं। उपर्युक्त उपाय अपर्याप्त पाए जाने पर अधिनियम में संशोधन पर विचार किया जाएगा।

*****